सं0- 7/57/2017-हिंशियो/(मु0/पार्ट-II/ 2534

दूरभाष - 24361852

Tel - 24366794

भारत सरकार

GOVT. OFINDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(राजभाषाविभाग)

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सातवाँ तल, अंत्योदय भवन,

7th Floor, Antyodaya Bhawan,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,

C.G.O. Complex,

लोधीरोड, नई दिल्ली.110003

Lodhi Road, New Delhi. 110003

दिनांक/Date- 14 SEP 2021

सेवा में,

सहायक निदेशक,
कार्यशाला एकक,
2ए, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली।

विषय: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान दवारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में वृदधि किए जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 04/10/2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/11/2019-रा.भा. (प्रशि.) की प्रति संलग्न कर आपकी आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(करन सिंह)
उप निदेशक

संलग्नक - यथोपरि

प्रतिलिपि : सहायक निदेशक (टंकण/आशु.), अ.वि. एकक, (नोडल अधिकारी वेबसाइट) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसकी प्रति संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

सं. 21034/11/2019-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 04.10.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए हिंदी भाषा कार्यशालाओं का आयोजन - प्रति सत्र पारिश्रमिक की राशि में वृद्धि ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए रू.750/- (रूपये सात सौ पचास मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा । किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक के रूप में देय राशि रू. 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी ।

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों से भिन्न अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए रू.1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) (अधिकतम 30 दिनों या 60 कक्षाओं तक के लिए) का पारिश्रमिक देय होगा । रू. 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) प्रति वर्ष के देय पारिश्रमिक की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी ।

(ग) स्थानीय अतिथि वक्ताओं को प्रशिक्षण में कक्षाएं लेने के लिए आवास से कार्यालय तथा वापसी का किराया भाड़े का भुगतान स्व प्रमाणन के आधार पर वास्तविक टैक्सी किराया सरकार द्वारा अधिसूचित दर के आधार पर देय होगा जो कि अधिकतम रू.750/. (रूपये सात सौ पचास मात्र) देय होगा ।

2. यह कार्यालय ज्ञापन गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग की दिनांक 26.08.2021 की डायरी सं. 3531705, कार्यालय एएस एंड एफए(एच) द्वारा दी गई उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

4/10/21

(आनंद कुमार)

निदेशक (प्रशि.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. कैंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
6. आंतरिक वित्त (गृह)-II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।

11.10.21